

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

स्वास्थ्य विभाग केवल राष्ट्र डिजाइन अनुसार

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 718 दिनांक 16/09/2020

प्रार्थना 1 निर्माण अर्थात् प्लान 2 प्रीमरी माना अर्थात्

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 प.नो: 67 (ल्यबू) संख्या

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय नगर डिस्ट्रिक्ट सोफिया मैर

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 700/- पमा

जरिये रसीद संख्या 9069/5801, 5802

दिनांक 16/09/2020 को जमा करा दी है ।

दिनांक 17/9/2020

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

स्वास्थ्य विभाग
राष्ट्र डिजाइन
अनुसार

17/9/2020
8112249789